न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)

बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 01/2006

प्रार्थी

सरकार जरिए उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ।

बनाम

अप्रार्थी

1. स्पेस ग्रेनाईट प्राईवेट लिमिटेड, आबूरोड।
2. शांतिनाथ ग्रेनाईट प्राईवेट लिमिटेड, आबूरोड।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. श्री , सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम, सिरोही।
2. श्री राजेन्द्र कुमार सुराणा अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 07.07.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 09.01.2001 को सी.आर. नं. 17/2001 में पुलिस द्वारा अप्रार्थी संख्या एक की फर्म से 14 ड्रम एवं अप्रार्थी संख्या दो की फर्म से 18 ड्रम कुल 32 ड्रम नीले केरोसीन तेल कब्जे सरकार लेकर धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से केरोसीन को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है। उक्त प्रकरण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.2004 को निर्णित हो चुका था जिसकी अपील न्यायालय सैशन न्यायाधीश सिरोही में की गई। न्यायालय सैशन न्यायाधीश सिरोही द्वारा उक्त निर्णय अपास्त किए जाने से पुनः सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार सुराणा द्वारा जरिए वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

सरकार की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी प्रथम एवं अप्रार्थी के अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार सुराणा की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 09.01.2001 को सी.आर.नं. 17/2001 में पुलिस द्वारा अप्रार्थी संख्या एक की फर्म से 14 ड्रम एवं अप्रार्थी संख्या दो की फर्म से 18 ड्रम कुल 32 ड्रम नीले केरोसीन तेल को कब्जे सरकार लिया गया। पुलिस द्वारा कब्जे सरकार लिए गए केरोसीन तेल का एफ.एस.एल. करवाया गया जिसमें एफ.एस.एल. परीक्षण में कब्जे सरकार लिए गए केरोसीन में नीले केरोसीन (ब्लूडाई) आना पाया गया है। नीले केरोसीन को राजस्थान राज्य में राशन कार्डों पर उपभोक्ताओं को उनके स्वयं के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:12:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

उपयोग हेतु ही दिया जा सकता है। वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ एवं औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु सफेद केरोसीन कार्य में लिया जा सकता है। नीला केरोसीन औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग करना गैर कानूनी है। इस प्रकार कुल 32 ड्रम केरोसीन तेल को कब्जे सरकार लेकर निस्तारण हेतु प्रकरण पेश है। अतः केरोसीन ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी की ओर से लायक अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार सुराणा ने दौराने बहस मेरा ध्यान आकृषित करते हुए निवेदन किया कि पुलिस द्वारा कब्जे सरकार लिया गया 32 ड्रम केरोसीन तेल केवल केरोसीन नहीं है। उक्त केरोसीन में डीजल व केरोसीन तथा पत्थर स्लेरी मिक्स है। अप्रार्थी द्वारा सफेद केरोसीन पूरी कीमत अदा कर स्थानीय बाजार से क्रय किया गया था न कि जयपुर की किसी फर्म से खरीदा गया था। अप्रार्थी की उक्त खरीद सद्भावनापूर्वक की गई थी। अप्रार्थीगण द्वारा इसमें किसी तरह का कोई अपराध नहीं किया गया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण के माल (सफेद केरोसीन, डीजल तथा पत्थर स्लेरी मिक्स तेल) को प्रार्थी को देने के आदेश प्रदान करावें। चूंकि उक्त माल अप्रार्थीगण को बैंक गारन्टी पर सुपूर्दगीनामें पर दिया जा चुका है, जिसका उपयोग अप्रार्थीगण द्वारा अपनी-अपनी फैक्ट्रीयों में किया जा चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर बैंक गारन्टी निरस्त फरमाई जाकर अप्रार्थीगण को सुपूर्द माल को अप्रार्थीगण को ही दिए जाने के आदेश प्रदान करावें। इसके सम्बन्ध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत एस. बी.क्रिमिनल रिविजन पिटिशन नम्बर 86/2012 मैसर्स M/s. Dhedhia Traders Vs State of Rajasthan निर्णय दिनांक 30.01.1995 पेश की।

दोनो पक्षो की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि दिनांक 09.01.2001 को सी. आर.नं. 17/2001 में पुलिस द्वारा अप्रार्थी संख्या एक की फर्म से 14 ड्रम एवं अप्रार्थी संख्या दो की फर्म से 18 ड्रम कुल 32 ड्रम नीले केरोसीन तेल को कब्जे सरकार लिया गया। पुलिस द्वारा कब्जे सरकार लिए गए केरोसीन तेल का एफ.एस.एल. करवाया गया जिसमें एफ.एस.एल. परीक्षण से कब्जे सरकार लिए गए केरोसीन में नीले केरोसीन (ब्लूडाई) आना पाया गया है। नीले केरोसीन को राजस्थान राज्य में राशन कार्डों पर उपभोक्ताओं को उनके स्वयं के उपयोग हेतु ही दिया जा सकता है। वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ एवं औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु सफेद केरोसीन कार्य में लिया जा सकता है। नीला केरोसीन औद्योगिक प्रयोजनार्थ उपयोग करना गैर कानूनी है। इस प्रकार कुल 32 ड्रम केरोसीन तेल को कब्जे सरकार लिया गया है। जहां तक अप्रार्थी अधिवक्ता का कथन है कि कब्जे सरकार लिया गया केरोसीन केवल केरोसीन नहीं था उसमें डीजल, केरोसीन व पत्थर [illegible] था परन्तु विधि विज्ञान प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त एफ.एस.एल. रिपोर्ट [illegible] विधि विज्ञान प्रयोगशाला के सहायक निदेशक, केमिकल श्री जी.डी.मिश्रा द्वारा दिनांक 10.01.2001 को जारी की गई। उक्त रिपोर्ट में कब्जे सरकार लिया गया केरोसीन नीला केरोसीन (ब्लूडाई) होना पाया जाता है एवं नीला केरोसीन केवल उपभोक्ताओं को राशन कार्डों पर ही वितरण किया जा सकता है। उक्त प्रकरण में जिला एवं सेशन न्यायाधीश सिरोही द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:12:50 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अभियोजन पक्ष की सम्पूर्ण साक्ष्य एफ.एस.एल. रिपोर्ट इत्यादि प्रस्तुत करने को कहा गया था जिस पर अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम द्वारा जवाब पेश किया गया। पत्रावली के अवलोकन से एवं अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टांत एस.बी. क्रिमिनल रिविजन पिटिशन नम्बर 86/2012 मैसर्स M/s. Dhedhia Traders Vs State of Rajasthan निर्णय दिनांक 30.01.1995 का अवलोकन करने से यह न्यायालय उक्त माल को जब्त सरकार किया जाना उचित मानता है। ऐसी स्थिति में औद्योगिक प्रयोजनार्थ उक्त केरोसीन का उपयोग आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों एवं राज. व्यापारिक वस्तु अनुज्ञापन एवं नियंत्रण आदेश 1980 के प्रावधानों के विपरीत होने से पुलिस द्वारा कब्जे सरकार लिए गए केरोसीन तेल 14 ड्रम एवं 18 ड्रम कुल 32 ड्रम मय खाली ड्रमों के समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है ।

चूंकि कब्जे सरकार लिए गए माल का अन्तरिम निस्तारण अप्रार्थीगण को ही बैंक गारन्टी के माध्यम से हो चुका है। अतः जिला रसद अधिकारी सिरोही आज की सफेद केरोसीन की दर अनुसार राशि की गणना कर राशि वसूली की कार्यवाई कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावें।

निर्णय आज दिनांक 07.067.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.10.15 12:12:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner